कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पाँचवीं मंजिल, भोपाल

क्रमांक 1728/आउशि/शाखा-1/07 भोपाल,दिनांक 12 सितंबर 2007

प्रति

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश ।

समस्त प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-- प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं करने के संबंध में ।

इस कार्यालय की जानकारी में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं जिनमें प्रशिक्षण के लिए प्राचार्य, प्राध्यापक अथवा सहायक प्राध्यापक को नामांकित किये जाने के बाद भी उन्हें प्रशिक्षण के लिए भारमुक्त नहीं किया गया है ।

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन के द्वारा प्रशिक्षण गतिविधियों के लिए बड़ी धनराशि व्यय की जाती है तथा पदोन्नति के लिए पुनःश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम की अनिवार्यता रखी गई है । ऐसी परिस्थिति में प्रशिक्षण के लिए प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों को कार्यमुक्त नहीं करने से शासन की राशि का अपव्यय होता है एवं संबंधित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की पदोन्नति पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है ।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि --

1- भविष्य में इस कार्यालय से प्रशिक्षण के लिए नामांकित किये गये सभी प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक प्रशिक्षण की अवधि के लिए स्वतः ही महाविद्यालय से भारमुक्त माने जायेंगे और उन्हें पृथक से भारमुक्त होने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

2- यदि प्राचार्य स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कतिपय प्रकरणों में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को भारमुक्त नहीं करना चाहते हों तो प्रशिक्षण के पर्याप्त समय पूर्व लिखित में प्रस्ताव भेजकर इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त कर प्रशिक्षण पर जाने से प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक को रोक सकते हैं ।

3– प्रशिक्षण के लिए नियत अवधि में किसी भी नामांकित प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक को नहीं होगा ।

3/– जिस संस्था में संबंधित पाध्यापक/ सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं उनके प्राचार्य अवकाश की अनुशंसा के लिए आवेदन प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख को भेजेंगे तथा प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख अपने अभिमत के साथ उक्त आवेदन पत्र को आयुक्त कार्यालय को भेजेंगे । जहां गुण दोष पर विचार कर अवकाश प्रदाय करने का निर्णय लिया जायेगा ।

4/– इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन करना सुनिश्चित करें ताकि कोई प्राध्यापक/ सहायक प्राध्यापक पदोन्नति के अवसरों से वंचित न रहे और प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं होने से कोई विपरित स्थिति निर्मित नहीं हो ।

12.9.2007

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश